राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

समस्त जिला कलेक्टर ।

क्रमांक:- प0 6(39)राज-4/85/राज-6/ जयपुर, दिनांक 25.1.99

:- परिपत्र :-

कृषि भूमि आवंटन, नियमितिकरण एवं पेटा काश्त व नदी काश्त भूमि के आवंटन/नवीनीकरण के लिये विभिन्न नियमों में गठित समितियों की बैठक समय पर न होने से काश्तकारों के विरुद्ध अनावश्यक शास्ति लगाई जा रही है एवं कुछ मामलों में सजा भी हो जाती है । पिछले अभियानों में इस तरह के जो मामले निस्तारित नही हो सके थे उनकी पत्रावलियां तैयार की जाकर अभियान के पश्चात उन्हे निपटाया जाता था । अत: इस प्रकार जो पत्रावलियां लम्बित हैं उनके निस्तारण के लिये सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमानुसार बैठक बुलाकर उनके निस्तारण की कार्यवाही की जाये । आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की सूचना समस्त जन-प्रतिनिधियों को निर्धारित समय से पूर्व भेजी जाये एवं इसकी सुनिश्चितता की जाये कि बैठक की सूचना उन्हे मिल गई है । इस तरह के बैठके विधान सभा सत्र, पंचायत समिति/जिला परिषद एवं जिला विकास अभिकरण की बैठक के समय जहां तक संभव हो, नही रखी जाये ।

प्राय: यह देखने में आया है कि आवंटन/नियमितिकरण/नवीनीकरण का कार्य अभियान के समय ही किया जाता है । यह स्थिति अच्छी नही है । जिला स्तर, उपखण्ड स्तर, तहसील स्तर पर यह कार्य निरन्तर किया जाता रहना चाहिए ।

अत: निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त प्रकार कार्यवाही यथासमय नियमित रूप से की जानी चाहिए ताकि निस्तारण शीघ्र एवं समय पर हो सके एवं किसानों को अनावश्यक परेशानी नही हो ।

(संजय दीक्षित)
शासन उप सचिव